किसान और अन्य

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक - क्रिस्टोफ जाफ्रेलॉट (प्रोफेसर, किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट, लंदन)

07 दिसंबर, 2018

''क्या भूमि सम्पन्न किसान भूमिहीन किसानों के हितों का भी ख्याल रखने में सक्षम हो पाएंगे?''

कृषि मूल्यों और ऋण माफ करने के मुद्दों पर किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बाद, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण हो गया है कि भारतीय गांवों में भूमिहीन किसान भी शामिल हैं, जिनके पास बाजार जाकर न कुछ बेचने के लिए है और न ही वे कभी बैंक गए हैं। नतीजतन, इनकी स्थिति और भी खराब हो गयी है, जो न केवल कृषि संकट के कारण हुआ है बल्कि इसका जिम्मेदार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कमजोर होना भी है, जिसे यूपीए 1 की सरकार ने वर्ष 2005 में शुरु किया था।

हाल ही में 'दिल्ली चलो' आंदोलन ने 1970-80 के दशक की किसानों की राजनीति की याद दिला दी, जब किसानों को प्रोफेसर सुसान और लॉयड रुडॉल्फ ने 'बैल पूंजीपति' कहा, जिसने सभी किसानों का प्रतिनिधित्व किया।

'ट्रैक्टर पूंजीपतियों' के विपरीत, जिनके पास 15 एकड़ से अधिक बड़े होल्डिंग्स थे, 'बैल पूंजीपतियों' का स्वामित्व केवल 2.5 से 15 एकड़ था, लेकिन यह बेचने और समृद्ध होने के लिए पर्याप्त था। उनका अच्छा भाग्य उनकी आंशिक रूप से संगठन की भावना और उनकी गतिशीलता की क्षमता के कारण था, जो 1978 में स्पष्ट हो गया था, जब उनमें से सैकड़ों हजारों लोग अपने मुख्य नेता चरन सिंह के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए दिल्ली आए थे। इस ताकत ने उन्हें कृषि वस्तुओं और सब्सिडी (उदाहरण के लिए उर्वरकों और बिजली के संबंध में) को राज्य के लाभकारी मूल्यों से प्राप्त करने की अनुमति दी।

इस तरह की ताकत इस तथ्य से आई थी कि वे ग्रामीण भारत में उच्च वर्ग की राजनीति को कम करने और समाज के अन्य वर्गों तक पहुँच बनाने में सक्षम थे। चरन सिंह ने 'भारत' और 'इंडिया' में व्याप्त विभेद पर बल दिया था क्योंकि इसके कारण दो ब्लॉक का निर्माण हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और वर्ग के संदर्भ में सामाजिक अंतर व्याप्त हो गया था।

सिंह ने दावा किया कि वह सभी 'किसानों' का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भूमिहीन मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया, जो दूसरों के खेतों में काम कर रहे थे। उस अर्थ में, 1960-70 के दशक में उभरा 'नया कृषिवाद' लोकप्रियता का एक अन्य रूप था। भारतीय किसान संघ के तहत यह लोकप्रियता जारी रही और समाप्त तब हुई जब 1989 में किसानों ने दिल्ली में दिनों में शिविर लगाया।

हालांकि, किसानों के लिए लाभ प्राप्त करना पहले से ही अधिक कठिन था। 1990 के दशक से, आंशिक रूप से आर्थिक उदारीकरण की वजह से, सब्सिडी में कमी आई है, जिसका परिणाम उनके हालिया आंदोलन में देखा जा सकता है। लेकिन हारने वालों में केवल 'बैल पूंजीपति' ही नहीं हैं, इसमें भूमिहीन किसान भी शामिल हैं, जो लगभग 300 मिलियन हैं। भूमिहीनता के समाधान के लिए किसी भी मुख्यधारा की पार्टी ने भूमि पुनर्वितरण को नहीं अपनाया।

हाल ही में, औद्योगिकीकरण को सबसे आशाजनक तरीके से आगे प्रस्तुत किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बीजेपी के संशोधन का समर्थन करते हुए अरुण जेटली ने 2015 में घोषित किया कि इस सुधार के परिणामस्वरूप 'औद्योगिक गलियारे' को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ष्300 मिलियन भूमिहीन लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस आदेश ने ग्रामीण भारत को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है। जिसमें सबसे पहला यह है कि अगर भूमिहीन किसान अपने गांव छोड़ने पर मजबूर होते हैं, तो वहां रहने में उनकी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

स्वतंत्रता के बाद से भारत में गरीबी से लड़ने के लिए मनरेगा सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों में से एक था, इसमें बेरोजगारी से प्रभावित किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी 100 रूपए प्रतिदिन का भुगतान करना शामिल था। मनमोहन सिंह सरकार के तहत, राज्य ने मनरेगा को बड़ी मात्रा में वित्त प्रवाहित किया, जो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत था। न केवल इस कार्यक्रम ने लाखों गरीबों को लाभ पहुंचाया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में मद्द की है, जो 2005 में 65 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 162 रुपये हो गई थी। 1999-2004 के बीच ग्रामीण राजस्व की औसत वृद्धि दर प्रति वर्ष 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2006-2011 में 9.7 प्रतिशत हो गई थी।

यही एक कारण है कि बीजेपी ने मनरेगा को देश के लिए अच्छा नहीं माना है, क्योंकि इससे कृषि इनपुट की लागत में वृद्धि होती है अर्थात् मजदूरी, पार्टी के मतदाताओं के निर्वाचन क्षेत्र और शहरी मध्यम वर्ग के लिए भोजन का अधिक महंगा होना। बीजेपी द्वारा मनरेगा को बुरी योजना के रूप में मानने की दूसरी वजह यह है कि भविष्य कारखानों में है।

2015 में, पहले बजट सत्र के दौरान, पीएम मोदी ने घोषित किया- 'मैं नरेगा को जिंदा रखूंगा। मुझे आप जैसा अनुभव नहीं है, लेकिन आप सभी के कारण मुझे राजनीतिक कौशल प्राप्त हुआ है और इसलिए मेरी बुद्धि मुझे यह सुझाव देती है कि स्वतंत्रता के बाद से आपकी असफलताओं के स्मारक के रूप में इसे जीवित रखूं।

दूसरे शब्दों में, मोदी, जिन्होंने पहले ही लोकसभा के समक्ष अपने पहले भाषण के दौरान 2014 में घोषित किया था, कि वह 'गरीबों में से सबसे गरीब' की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2015 आते-आते उन्होंने कहा कि उन्हें मनरेगा पसंद नहीं आया, लेकिन उन्हें इसकी लोकप्रियता मालूम है और ग्रामीण इलाकों में इसकी समाप्ति खराब प्रभाव डालेगी। इसलिए, कागज पर यह कार्यक्रम बना रहा। 2015 में, अरुण जेटली ने यह भी घोषित किया:- 'हमारी सरकार मनरेगा के माध्यम से रोजगार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गरीबों में से कोई भी रोजगार के बिन ना रह जाए।'

लेकिन इसके बावजूद मनरेगा को आवंटित किए गए धन को वितरित नहीं किया गया। जिसके बाद वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन सरकार की प्रवृत्ति जारी रही। सालाना 100 दिन काम करने वाले लोगों की संख्या 2013-14 में 4,70,000 से घटकर 2015-16 में 1,70,000 हो गई। 2014-15 की शुरुआत में, काम किए गए दिनों की औसत संख्या 39 हो गई थी (यह पलहे 46 साल थी)। मनरेगा के अनुसार, '100 दिनों' का जादुई आंकड़ा न केवल खत्म हो गया है, बल्कि, कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर भुगतान भी किया जा रहा है।

2016-17 में केवल 28 प्रतिशत ही भुगतान किए गए, वो भी उस वक्त जब राक्षस रुपी बाढ़ और सूखे ने भारत के कुछ हिस्सों को अस्त-वयस्त कर दिया था। 2015-16 में, जब सूखा अधिक गंभीर हो गया था, कृषि मजदूरों में से केवल 7 प्रतिशत ही मनरेगा के सूखे से संबंधित विशेष खंड से लाभान्वित हुए, जबकि ऐसी परिस्थितियों में, '100 दिन' को '150 दिनों' में परिवर्तित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, 2016-17 में इस योजना के ढांचे में खर्च किए गए पैसे को भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 0.26 प्रतिशत कर दिया गया है।

भूमिहीन किसान, जिसमें आदिवासी और किसान शामिल हैं, शायद वर्तमान कृषि संकट के मुख्य पीड़ित हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसान अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे, या क्या उन्हें वर्ग और जाति के मामलों से निजात मिल पायेगी क्योंकि इनमें से कई दलित हैं?

GS World टीम...

किसानों की आय में तेजी से वृद्धि के संभावित उपाय

- **कृषिगत गतिविधियों का विविधीकरण :** प्राय: यह देखा गया है और कई अध्ययनों द्वारा प्रमाणित है कि उच्च मूल्य वाली फसलों और कृषि उद्यमों की ओर ध्यान देने वाले किसानों की आय में तेजी से वृद्धि होती है। अत: कृषिगत गतिविधियों के विविधीकरण को गति देनी होगी।
- **बेहतर सिंचाई के साधन :** देश में अभी भी निम्न उत्पादकता का एक बड़ा कारण सिंचाई के साधनों की अपर्याप्त उपलब्धता है। अत: इस संबंध में भी ध्यान देने की जरूरत है।
- **प्रतिस्पर्द्धी बाजार मूल्य :** बेहतर उत्पादन के बावजूद यदि किसान बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका एक मुख्य कारण प्रतिस्पर्द्धी कीमत का न मिल पाना है और इसके कई कारण हैं। एकीकृत मूल्य श्रृंखला, भण्डारण की समुचित व्यवस्था आदि सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- कृषि क्षेत्र में सुधार की समूची कवायद इन्हीं मूल बातों पर केन्द्रित होनी चाहिये। राज्य स्तर के आँकडों से पता चलता है कि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 2006-07 और 2013-14 के बीच वास्तविक कृषि आय (इसमें व्यापार में सुधार के कारण बढ़ी आय भी शामिल है) दोगुनी हो गई है।
- इन राज्यों द्वारा उपरोक्त मूल बातों पर ही ध्यान दिया गया है और यदि भारत के सभी राज्यों में ऐसा किया जाता है तो निश्चित ही हम वर्ष 2022 तक किसानों को दोगुनी आय की सौगात दे सकते हैं।

एमएसपी क्या है?

- ऐसा न्यूनतम मूल्य, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
- जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।

एमएसपी का नया फार्मूला

- स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए लागत में डीजल के अलावा खाद-बीज, कर्ज पर ब्याज को शामिल करने को कहा था।

- साथ ही किसान का एक दिन का पारिश्रमिक तय कर इसे भी लागत में जोड़ने की सिफारिश की थी। इस हिसाब से लागत के 150 फीसदी तक एमएसपी रखने की सिफारिश की गई थी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- यह आयोग कृषि उत्पादों की संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
- इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एमएसपी के निर्धारक कारक

- उत्पाद की लागत क्या है।
- इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है।
- बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है।
- मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है।
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति।

संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. कृषि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है।
   2. मनरेगा के तहत लाभार्थियों के लिए न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

मुख्य परीक्षा

2. भूमि अधिग्रहण विधेयक किस प्रकार भूमिहीन किसानों के लिए हितकर है? अलोचनात्मक विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 06 दिसंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

CS World Committed To Excellence